



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांकRAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 1, सोमवार, शाके 1939- अक्टूबर 23, 2017
Kartika 1, Monday, Saka 1939-October 23, 2017

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जन अभियोग निराकरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 18, 2017

संख्या F13(3)प्र.सु./सम./गु-1/2011 :-राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं० प.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नालिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के कम संख्या 7 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान कम संख्या 48 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई कम संख्या 48ए, तथा 48बी एवं उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

48ए	सौर जनरेटर के लिये नियमन 32 के तहत	7 दिवस	विद्युत निरीक्षक	सहायक विद्युत निरीक्षक	वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक	वरिष्ठ शासन उप सचिव, उर्जा विभाग
48बी	ट्रांसफार्मर उर्जाकरण के लिये नियमन 43 के तहत	7 दिवस	विद्युत निरीक्षक	सहायक विद्युत निरीक्षक	वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक	वरिष्ठ शासन उप सचिव, उर्जा विभाग

- (ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के कम संख्या 8 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान कम संख्या 49 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई कम संख्या 49ए एवं उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

49ए	विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत, विनिर्माता/व्यवहारी/मरम्मतकर्ता का अनुज्ञापत्र तथा पैकर पंजीयन	7 दिन	निरीक्षक/सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	संयुक्त नियंत्रक/अतिरिक्त नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	-
-----	---	-------	---	-------------------------------	--	----------------------------	---

- (iii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के कम संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान कम संख्या 76 एफ व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई कम संख्या 76 जी से 76 जे एवं उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

76 जी	भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में						
	(1) भवन मानचित्र अनुमोदन	तीस दिन	निदेशक आयोजना (विकास) प्राधिकरण	वरिष्ठ नगर नियोजक (विकास) प्राधिकरण	सचिव, (विकास) प्राधिकरण	आयुक्त, (विकास) प्राधिकरण	-
	(2) भूखण्डों का उप	सक्षम स्तर	वरिष्ठ	सहायक	नगर सुधार	चैयरमेन (नगर	

		विभाजन एवं पुनर्गठन	पर स्वीकृती के निर्णय के पश्चात् शुल्क जमा होने के 15 कार्य दिवस	अथवा नियोजक (नगर सुधार न्यास)	नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	न्यास	सुधार न्यास)
		(3) भू-उपयोग परिवर्तन		सचिव, (विकास प्राधिकरण नगर विकास न्यास)	उपायुक्त, (विकास प्राधिकरण) / उप सचिव (नगर सुधार न्यास)	अति० मुख्य सचिव, (नगरीय विभाग)	मननीय मंत्री महोदय, (नगरीय विकास विभाग)
	76 एच	राजस्व अधिनियम 1956 के धारा 90 ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण की कार्यवाही	60 दिवस	उपायुक्त (विकास प्राधिकरण) / उप सचिव (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	तहसीलदार (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	सचिव, (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	आयुक्त (विकास प्राधिकरण) / / चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)
	76 आई	लीज डीड जारी करना	30 दिवस	उपायुक्त (विकास प्राधिकरण) / उप सचिव (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	तहसीलदार (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	सचिव, (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	आयुक्त (विकास प्राधिकरण) / / चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)
	76 जे	ले-आउट प्लान अनुमोदन पश्चात् पट्टा जारी करना (कृषि भूमि से सम्बन्धित)	30 दिवस	उपायुक्त (विकास प्राधिकरण) / उप सचिव (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	तहसीलदार (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	सचिव, (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	आयुक्त (विकास प्राधिकरण) / / चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)

(iv) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान कम संख्यांक 20 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नये कम संख्यांक 21, 22 व 23 उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जावेगी, अर्थात:-

21.	उद्योग विभाग	128	भागीदारी फर्म पंजीयन	7 कार्य दिवस	रजिस्ट्रार ऑफ फर्म	-	-	-	अपीलीय अधिकारी का प्रावधान नहीं
22.	श्रम विभाग	129	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान का अधिनियम, 1958 के तहत संस्थानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण	1	1	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	-	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त
		130	ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (ठेकेदार) के तहत लाईसेन्स	15	15	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	-	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त
		131	ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (प्रधान नियोक्ता) के	30	-	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	-	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त

		तहत पंजीयन							
	132	भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम, 1996 के तहत संस्थानों का पंजीयन	15	—	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	—	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	
	133	श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के तहत पंजीयन	15	—	संयुक्त श्रम आयुक्त	—	श्रम आयुक्त, राजस्थान	—	
	134	बीडी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के तहत संस्थानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण	10	10	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	—	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	
	135	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 के तहत संस्थानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण	15	15	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	—	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	
	136	केन्द्रीय अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 (ठेकेदार) के तहत लाइसेन्स एवं नवीनीकरण	15	15	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	—	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	
	137	केन्द्रीय अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 (प्रधान नियोक्ता) के तहत पंजीयन	30	—	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	—	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	

23.	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग	138	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखाने के रूप में किसी भवन के निर्माण/विस्तार/अथवा उपयोग में लिये जाने हेतु स्वीकृति व नक्शे अनुमोदन	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से	मुख्य निरीक्षक / उप मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	149 श्रमिक तक नियोजित करने वाले गैर जोखिमपूर्ण कारखानों के नक्शे स्वीकृति के लिये उप मुख्य निरीक्षक सहायक पदाभिहित अधिकारी व शेष कारखानों के लिये मुख्य निरीक्षक पदाभिहित अधिकारी है।
		(1)	धारा 2 एम (II) के तहत परिभाषित और नियम 2 (एम) के तहत परिभाषित गैर-खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	10 दिवस					
		(2)	अन्य कारखाने	30 दिवस					

	139	कारखाने का पंजियन-कारखाना अधिनियम, 1948	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से					
	(1)	धारा 2 एम (11) के तहत परिभाषित और नियम 2 (एम) के तहत परिभाषित गैर-खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	7 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
	(2)	नियम 2 (एम) के तहत परिभाषित गैर-खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	15 दिवस					
	(3)	धारा 2 (सीबी) के तहत परिभाषित खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	21 दिवस					
	(4)	धारा 87 के तहत परिभाषित खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	21 दिवस					
	(5)	राजस्थान प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियम, 1991 के तहत परिभाषित प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखाने	60 दिवस					
	140	कारखाने का नवीनीकरण - कारखाना अधिनियम, 1948	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से					
	(1)	धारा 2 एम (11) के तहत परिभाषित और नियम 2 (एम) के तहत परिभाषित गैर-खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	7 दिवस	मुख्य निरीक्षक/ उप मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक/ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	कारखानों के अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के लिये उप मुख्य निरीक्षक पदाभिहित अधिकारी है व अनुज्ञा पत्र में संशोधन व नवीनीकरण के लिये मुख्य निरीक्षक पदाभिहित अधिकारी है।
	(2)	नियम 2 (एम) के तहत परिभाषित गैर-खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	15 दिवस					
	(3)	धारा 2 (सीबी) के तहत परिभाषित खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	21 दिवस					
	(4)	धारा 87 के तहत परिभाषित खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	21 दिवस					

	(5)	राजस्थान प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियम, 1991 के तहत परिभाषित प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखाने	60 दिवस					
	141	बॉयलर का नवीनीकरण - बॉयलर अधिनियम, 1923	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से					
	(1)	स्टीम पाइप लाइन नवशों की स्वीकृति	15 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	
	(2)	निरीक्षण	30 दिवस	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	--	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
	(3)	निरीक्षण (निरीक्षणों) के पूरा होने की तारीख से बायलर का पंजीकरण	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी
	142	बॉयलर का पंजियन - बॉयलर अधिनियम, 1923	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से					
	(1)	निरीक्षण	15 दिवस	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	..	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
	(2)	ऐसे मामलों में नवीनीकरण जिसमें सक्षम व्यक्ति को धारा 8 के तहत किसी भी संदर्भ के बिना प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है	निरीक्षण पूर्ण होने की तिथि से 48 घण्टे	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	..	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
	(3)	अन्य मामलों में बायलर का नवीनीकरण	15 दिवस	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	...	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
	143	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों का निरीक्षण	समय सीमा					
	(1)	राजफैब (RajFAB) में फेक्टरी निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करें	48 घण्टे	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
	144	बॉयलर एक्ट, 1923 के तहत बॉयलर निर्माता, बॉयलर विनिर्माण और मरम्मत,	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि					

			मरम्मतकर्ता / ईरेक्टर (Erector), वेल्डर और विभिन्न गतिविधियों के लिए स्वीकृति / अनुमोदन - भारतीय बॉयलर विनियमन, 1950 के नियम	से					
		(1)	संतोषप्रद रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर फार्म 12 में वेल्डर अर्हता प्रमाण पत्र जारी करना- 614	5 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	वेल्डर का परीक्षण करने वाला सहायक पदाभिहित अधिकारी
		(2)	भारत से बाहर बनाये गए बॉयलरों और बॉयलर संघटकों के लिये परिकल्पना और विनिर्माण रेखाचित्र का अनुमोदन- 393(क)	(1) 20 टीपीएच तक की क्षमता वाले बॉयलर संघटक व बॉयलर के लिये 5 दिवस (2) 20 टीपीएच से अधिक और 100 टीपीएच तक की क्षमता वाले बॉयलरों के लिये 15 दिवस (3) 100 टीपीएच से अधिक की क्षमता वाले बॉयलर के लिये 21 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
		(3)	भारत से बाहर बनाये गए बॉयलरों और बॉयलर संघटकों के लिये सामग्रियों का अनुमोदन- 393 (ख) (आवश्यकता होने पर भारत सरकार, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्)	(1) समान परिकल्पना दबाव और तापमान के लिये पूर्व अनुमोदित के समान सामग्री की दशा में 5 दिवस (2) अन्य दशाओं में 10 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	(आवश्यकता होने पर भारत सरकार, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्)
		(4)	भारत से बाहर बनाये गए बॉयलरों और बॉयलर संघटकों के लिये परिकल्पना और विनिर्माण रेखाचित्र का अनुमोदन- 393(ख) (आवश्यकता होने पर भारत सरकार, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड		मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	(आवश्यकता होने पर भारत सरकार, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से

	से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्)						स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्)
	21 दिवस						
(5)	सन्निर्माण/विनिर्माण के दौरान निरीक्षण -परिशिष्ट 'जे'	2 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
(6)	विनिर्माण और परीक्षण के लिये प्रमाणपत्र का जारी किया जाना - 4(ग)(1)	(i) बॉयलर संघटकों के लिये 3 दिवस (ii) बॉयलर के लिये 7 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
(7)	परिनिर्माण के दौरान "प्रारूप 2ग" में निरीक्षण प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारी किया जाना - 4(ग)(1)	2 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी
(8)	रजिस्ट्रीकरण निरीक्षण के पश्चात् प्रारूप-5 में अंतिम आदेश जारी किया जाना	48 घण्टे	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
(9)	बायलर के लिये रजिस्ट्रीकरण संख्या नियत करना - 386(घ)	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी
(10)	बॉयलर का भाप परीक्षण - 380(क)	30 दिवस	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
(11)	बॉयलर के प्रयोग के लिये फार्म - 6 में प्रमाणपत्र जारी करना - 389	48 घण्टे	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
(12)	बॉयलरों की मरम्मत/प्रत्यावर्तन करने के लिये अनुज्ञा-392(iv)(b)	2 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी
(13)	- बॉयलर और स्टीम पाइपों के मरम्मतकर्ता की मान्यता-392 (5) - बायलर, बॉयलर संघटकों, स्टीम पाइपलाइन, फिटिंग, वाल्व, आदि के निर्माताओं, ईरेक्टर (Erector) और फैब्रिकर्स का अनुमोदन एवं नवीनीकरण - घारा 4 (सी) और	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	

		4 (ई) बॉयलर अधिनियम, 1923						
	(14)	निरीक्षण पुस्तक और रजिस्ट्रीकरण पुस्तक के ज्ञापन का स्थानान्तरण - 388	15 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
	145	प्रशिक्षण संस्थान का अनुमोदन और राजफैब वेब पोर्टल के माध्यम से पेपरलेस सेवाओं के तहत अन्य अनुमोदन	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से					
	(1)	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 45 (3) व राजस्थान कारखाना नियम, 1951 की आवश्यकताओं के लिए धारा III-A(ii) के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान का अनुमोदन	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
	(2)	राजफैब वेब पोर्टल के माध्यम से पेपरलेस सेवाओं के तहत अन्य अनुमोदन	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	कार्य वितरण के अनुरूप सहायक पदामिहित अधिकारी

राज्यपाल के आदेश से,
पवन कुमार गोयल,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांकRAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 8, सोमवार, शाके 1939-अक्टूबर 30, 2017
Kartika 8, Monday, Saka 1939- October 30, 2017

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जन अभियोग निराकरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 30, 2017

संख्या F16(1)RPG/2017 :- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 की अधिनियम सं० 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं० प.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 4 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 25 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 25ए एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

25ए	टेलिकॉम केबल, डक्ट आदि डालने के लिए राइट ऑफ वे और/अथवा सड़क काटने की अनुमति प्रदान करना।						
(1) आवेदन करने के उपरान्त राशि जमा करवाने हेतु तकनीका देना।	10 दिवस	अधिशायी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अति० मुख्य अभियन्ता		
(2) राशि मय बैंक गारंटी/अनुबन्ध/वन विभाग की अनापत्ति (जो भी आवश्यक हो) जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान करना।	7 दिवस	अधिशायी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अति० मुख्य अभियन्ता		

(ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 7 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 44 के सामने कॉलम संख्या 4 के खण्ड (11) तथा उसके सामने कॉलम संख्या 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 की विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

(अ) जहां आवेदक द्वारा निगम से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं एवं राइट ऑफ वे (RoW) की आवश्यकता नहीं है।	(अ) सगस्त एवं संपूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 7 दिवस अवधि में	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता		
(ब) जहां आवेदक द्वारा निगम से सम्बन्धित सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं एवं राइट ऑफ वे (RoW) की आवश्यकता है।	(ब) समस्त एवं संपूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना प्राप्ति पत्र के 15 दिवस अवधि में						

(iii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 11 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 65 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या. 65ए एवं 65बी एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

65ए	राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापिकाएं प्रदाय) नियम 1973 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में होटल बार/क्लब बार लाईसेंस जारी	30 दिवस	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधि), राजस्थान, उदयपुर	-	-	तकनीकी कारणों, यथा सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयवधि में उपलब्ध नहीं कराई जा
-----	--	---------	---------------------------------	---	---	---	---

क्रमांक	करना	दिनांक	आवकरी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	अतिरिक्त आवकरी आयुक्त (विधि) राजस्थान, उदयपुर	सकेगी।
65बी	राजस्थान आवकरी (रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापितियां प्रदाय) नियम 2004 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में रेस्टोरेन्ट बार लाईसेंस जारी करना	30 दिवस			तकनीकी कारणों, यथा सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी।

(iv) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 76जे एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या. 76के एवं 76एल एवं उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

क्रमांक	भवन मानचित्र स्वीकृती के संबंध में	दिनांक	निदेशक आयोजना (विकास प्राधिकरण)/ वरिष्ठ अथवा उप नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास)	वरिष्ठ नियोजक (विकास प्राधिकरण)/ सहायक नियोजक (नगर सुधार अथवा समकक्ष अधिकारी)	नगर सचिव (विकास प्राधिकरण)/ नगर सुधार न्यास	आयुक्त (विकास प्राधिकरण)/ चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)	
76के	भवन मानचित्र अनुमोदन पश्चात प्लिन्थ लेवल तक निर्माण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना	7 दिन					-
76एल	कम्पलीशन/ ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट	8 दिवस (7 दिवस मौका निरीक्षण + 1 दिन कम्पलीशन / ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु)	निदेशक आयोजना (विकास प्राधिकरण)/ वरिष्ठ अथवा उप नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास)	वरिष्ठ नियोजक (विकास प्राधिकरण)/ सहायक नियोजक (नगर सुधार अथवा समकक्ष अधिकारी)	नगर सचिव (विकास प्राधिकरण)/ नगर सुधार न्यास	आयुक्त (विकास प्राधिकरण)/ चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)	-

(v) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 15 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 108 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 108ए से 108एम एवं उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

क्रमांक	नाम हस्तान्तरण।	दिनांक	निगम/परिषद/र त्त पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/लिपिक (संबंधित)	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108 ए		07 दिवस				
108 बी	भू-राजस्व अधिनियम की धारा-90ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमन/आवंटन।	60 दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी	निगम स्तर पर नगर नियोजक /सहायक अभियन्ता/ राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर/वरिष्ठ	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय

			(संबंधित)	प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)			
108 सी	भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही।	60 दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिक्षापी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक /सहायक अभियन्ता/ राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
108 डी	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत ले-आउट प्लान अनुमोदन।	45 दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिक्षापी अधिकारी (संबंधित)	उप/सहायक नगर नियोजक/नगर नियोजन सहायक/वरिष्ठ प्रारूपकार/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
108 ई	उप-विभाजन व पुर्नगठन	30 दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिक्षापी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक /सहायक अभियन्ता/ राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	

					नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)			
108 एफ	लीजडीड / पट्टा जारी किया जाना।	15 दिवस	निगम / परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक / सहायक अभियन्ता / राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता / कार्यालय सहायक / कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय		
108 जी	भवन मानचित्र अनुमोदन (यदि आवश्यक हो तो) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व. मी. तक (आवासीय) भूखण्ड का क्षेत्रफल 225 व. मी. तक (व्यावसायिक) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व. मी. तक (औद्योगिक)	15 दिवस	निगम / परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक / सहायक अभियन्ता / राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता / कार्यालय सहायक / कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय		
	भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से कम (समस्त उपयोग)	21 दिवस	निगम / परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक / सहायक अभियन्ता / राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय		

					अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)			
	भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मी. से अधिक (समस्त उपयोग)	30 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक/सहायक अभियन्ता/राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय		
108 एच	ट्रेड लाईसेंस जारी किया जाना।	07 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	डिलिंग क्लर्क/स्वास्थ्य निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय		
108 आई	अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र।	07 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी/जोन आयुक्त लेखाकार/संबंधित लिपिक/कैशियर नगर परिषद स्तर पर अग्निशमन अधिकारी (अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अग्निशमन अधिकारी (अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय सहायक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय		

108 जे	पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र जारी करना। प्लिन्थ लेवल तक निर्माण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना कम्पलीशन / ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट	7 दिवस 8 दिवस (7 दिवस मौका निरीक्षण + 1 दिन कम्पलीशन / ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु)	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/कैशियर नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108 के	लीज राशि जमा एवं लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना।	07 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/कैशियर नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108 एल	नगरीय विकास कर जमा कराना।	03 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/कैशियर नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108 एम	सीवर कनेक्शन जारी करना।	03 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी/(अभियन्ता) अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक नगर परिषद स्तर पर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक नगर पालिका स्तर पर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय

(vi) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 21 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 128 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 128ए एवं 128बी एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

128ए	(i) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी एवं भू-रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति-		आयुक्त, उद्योग	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	मुख्य सचिव
	(अ) वृहद स्तर की मैनुफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज।	पत्रावली पूर्ण होने से 7 दिवस की अवधि में।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	-	आयुक्त, उद्योग	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग
	(ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज	पत्रावली पूर्ण होने से 7 दिवस की अवधि में।				
	(ii) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भू-कर में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति-		आयुक्त, उद्योग	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	मुख्य सचिव
	(अ) वृहद स्तर की मैनुफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज।	पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	-	आयुक्त, उद्योग	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग
	(ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज	पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में।	आयुक्त, उद्योग	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	मुख्य सचिव
	(iii) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत निवेश अनुदान एवं रोजगार सृजन अनुदान की स्वीकृति		महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	-	आयुक्त, उद्योग	मुख्य सचिव
	(अ) वृहद स्तर की मैनुफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज।	पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में।	आयुक्त, उद्योग	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग
	(ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज	पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	-	आयुक्त, उद्योग	मुख्य सचिव
	(iv) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत टैक्सटाइल, एग्री प्रोसेसिंग एवं आई.टी. सेक्टर में ब्याज अनुदान की स्वीकृति		आयुक्त, उद्योग/ वह अधिकारी जिसे आयुक्त, उद्योग द्वारा शक्तियां प्रदत्त हैं।	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग

		(अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज। (ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज (v) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत टैक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग एवं आई.टी. सेक्टर में ब्याज अनुदान का वितरण (vi) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत निवेश अनुदान एवं रोजगार सृजन अनुदान का वितरण	पत्रावली पूर्ण होने से 60 दिवस की अवधि में। पत्रावली पूर्ण होने से 30 दिवस की अवधि में। पत्रावली पूर्ण होने से 30 दिवस की अवधि में।				मुख्य सचिव	
				सहायक आयुक्त / वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग	—	उप आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	
128 बी	(1) भूमि आवंटन के लिये अ. लाटरी के तहत ब. पहले आओ पहले पाओ के तहत सं. पसंद के अनुसार	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 90 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको कमेटी द्वारा जिसके सदस्य हैं, प्रबन्ध निदेशक, रीको, प्रबन्ध निदेशक, आर.एफ.सी., आयुक्त, उद्योग एवं आयुक्त, बीप	—	—	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको अध्यक्ष, रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको प्रबन्ध निदेशक, रीको रीको के निदेशकों के मण्डल की इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कमेटी	
	(2) जल कनेक्शन हेतु	20 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको	—	—	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	
	(3) भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु	15 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको	—	—	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	
	(4) अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु (औद्योगिक भवनों हेतु)	8 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको	—	—	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	

(vii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 23 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नये क्रम संख्या 24 एवं 25 एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

24	सहकारिता विभाग	146	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सोसाइटी का पंजीकरण करना	पूर्व पत्रादि / ऑनलाईन आवेदन करने के तीस कार्य दिवस के भीतर	रजिस्ट्रार, संस्थाएं, संबंधित ईकाई, सहकारिता विभाग	कार्यालय रजिस्ट्रार, संस्थाएं में पदस्थापित तकनीकी सहायक / निरीक्षक, जिसे की रजिस्ट्रार, संस्थाएं, द्वारा इस हेतु आदेशित किया जाए।	खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया (संबंधित खण्ड)	रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, राजस्थान जयपुर	तकनीकी कारणों यथा-सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नही होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने आदि की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही करायी जा सकेगी।
		147		राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर-भीतर	उप रजिस्ट्रार, संबंधित ईकाई, सहकारिता विभाग	कार्यालय उप रजिस्ट्रार, ईकाई में पदस्थापित तकनीकी सहायक / निरीक्षक, जिसे कि उप रजिस्ट्रार, ईकाई द्वारा इस हेतु आदेशित किया जाए।	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव
		148		राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर-भीतर	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संबंधित खण्ड, सहकारिता विभाग	कार्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, खण्ड में पदस्थापित तकनीकी सहायक / निरीक्षक, जिसे कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार, खण्ड द्वारा इस हेतु आदेशित किया जाए।	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव
		149		राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत शीर्ष सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर-भीतर	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम), सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव	राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण
25	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	150	जल (प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत स्थापना हेतु	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
					क्षेत्रीय अधिकारी		जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
		151	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत संचालन हेतु	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	

				क्षेत्रीय अधिकारी		जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
152	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी		वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
			क्षेत्रीय अधिकारी			वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
153	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी		वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
			क्षेत्रीय अधिकारी			वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
154	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं पारगमन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार	120 दिन	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी		शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
			क्षेत्रीय अधिकारी			शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	

राज्यपाल के आदेश से,
पवन कुमार गोयल,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

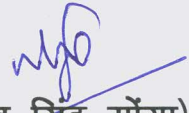
राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

विषय :- SOP of Authorities/UITs/CTP/RHB को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरीय विकास विभाग की अधीनस्थ संस्थाओं (विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर नियोजन तथा राजस्थान आवासन मण्डल) की SOP की प्रतियां प्रमाणित कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वरिष्ठ शासन उप सचिव,
नगरीय विकास विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।


(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय
जगजीत सिंह मोंगा
संयुक्त शासन सचिव-III
नगरीय विकास विभाग, जयपुर

अ.शा. टीप क्रमांक: एफ.5(7)नविवि/5/2013 पार्ट
जयपुर, दिनांक:- 18/10/17

Development Authorities, UIT's

क्रमांक	शिकायत के विषय	समय सीमा
1	2	3
1	कब्जा पत्र जारी करना	30 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज तथा राशि जमा करवाये जाने पर)
2	लीजडीड/पट्टा जारी करना	7 दिवस(नगरीय निकाय के सक्षमतः स्तर पर) 30 दिवस(राज्य सरकार के स्तर के प्रकरणों में)
3	लीज मुक्ति प्रमाण पत्र	30 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
4	नाम हस्तान्तरण/म्यूटेशन	30 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
5	दस्तावेज/ मानचित्र की प्रति प्राप्त करना	30 दिवस
6	अनापत्ति प्रमाण पत्र(NOC)	10 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
7	अदेयता प्रमाण पत्र (No Dues)	15 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
8	विक्रय अनुमती	7 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
9	रोड कटिंग अनुमती	15 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
10	अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाना	अधिकतम 30 दिवस में
11	भवन मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण स्वीकृति	30 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
12	ले-आउट प्लान अनुमोदन	60 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
13	भूखण्ड का उप-विभाजन व पुनर्गठन	45 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
14	सडक/नाली/सीवर लाईन मरम्मत	अधिकतम 30 दिवस में
15	अग्रिम/अमानत/धरोहर राशि का भुगतान	अधिकतम 30 दिवस में

16	कार्य के भुगतान की राशि	अधिकतम 30 दिवस में(पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
17	भू-उपयोग परिवर्तन(स्थानीय स्तरीय)	60 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
18	भू-उपयोग परिवर्तन(राज्य स्तरीय)	90 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
19	धारा 90 ए की स्वीकृति	45 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
20	कार्मिक की शिकायत	अधिकतम 30 दिवस में
21	कार्मिक के सेवा संबंधित प्रकरण	अधिकतम 30 दिवस में
22	सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण	7 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
23	अवाप्त भूमि का मुआवजा	अवार्ड जारी होने की तिथि से 60 दिवस में
24	भूमि आवंटन(आवंटन नीति 2015 के अनुसार)	स्थानीय स्तर पर 30 दिवस में राज्य स्तर पर 60 दिवस में

RAJASTHAN HOUSING BOARD

क्रमांक	शिकायत के विषय	समय सीमा
1	2	3
1	वरीयता क्रमांक कार्ड	पंजीकरण बन्द होने की तिथि से 2 माह की अवधि में
2	आरक्षण पत्र/पूर्व ग्रहण राशि मांग पत्र	कार्य प्रारम्भ होने के 2 माह की अवधि में
3	आवंटन पत्र	लागत निर्धारण पश्चात अधिकतम 3 माह में अथवा लागत पत्र में अंकित अवधि में
4	मकान का कब्जा पत्र	मांग पत्र की बकाया राशि जमा करवाने एवं संपूर्ण वांछित कागजात जमा करवाने के 1 माह की अवधि में
5	मकान का कब्जा	आवासीय अभियंता के कार्यालय में रिपोर्ट करने के 15 दिवस की अवधि में
6	आवंटी/आवेदकों को रिफण्ड करना	निर्धारित भरे हुये प्रपत्रों के प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि में
7	पूर्ण राशि जमा होने पर अदेयता प्रमाण पत्र	निर्धारित भरे हुये प्रपत्रों के प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में
8	नीलामी बोली की स्वीकारोक्ति एवं मांग पत्र	नीलामी 2 माह की अवधि में
9	एकमुश्त लीज पत्र	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 15 दिन की अवधि में
10	हस्तान्तरण विक्रय परस्पर/नामदर्ज/मृत्यु प्रकरण	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 1 माह की अवधि में
11	नियमितिकरण प्रकरण	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 3 माह की अवधि में
12	आय वर्ग में परिवर्तन	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में
13	बकाया/शेष राशि की जानकारी हेतु/अन्य राशि मांग	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि में
14	ऋण दात्री संस्थाओं को ऋण प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	10 दिवस की अवधि में
15	पता परिवर्तन की सूचना	10 दिवस की अवधि में
16	अर्नेस्ट मनी रिफण्ड	30 दिवस की अवधि में
17	संवेदकों का पंजीकरण	30 दिवस की अवधि में
18	भूमि का मुआवजा नगद राशि में	60 दिवस अवार्ड जारी होने की तिथि से
19	विकसित भूखण्ड	90 दिवस शासन से अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से
20	आवास पंजीयन	आवेदन करने की तिथि से 30 दिवस में
21	भवन निर्माण के नक्शों का अनुमोदन	आवेदन करने की तिथि से 30 दिवस में

Town Planning Dept.

क्रमांक	शिकायत के विषय	समय सीमा
1	2	3
1	कार्य के भुगतान की राशि	अधिकतम 30 दिवस में (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
2	भू-उपयोग परिवर्तन (राज्य स्तरीय)	90 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
3	कार्मिक के सेवा संबंधित प्रकरण	अधिकतम 30 दिवस में
4	स्थानीय निकायों को मास्टर प्लान के अनुसार भू-उपयोग की जानकारी प्रेषित करने बाबत।	10 दिवस
5	स्थानीय निकायों को भू-उपयोग बाबत तकनीकी राय प्रदान करने बाबत।	10 दिवस
6	स्थानीय निकायों को ले-आउट प्लान के अनुमोदन हेतु तकनीकी राय प्रदान करने बाबत।	15 दिवस
7	स्थानीय निकायों को भवन मानचित्र के अनुमोदन हेतु तकनीकी राय प्रदान करने बाबत	15 दिवस
8	स्थानीय निकायों को 90ए/भूमि आवंटन हेतु तकनीकी राय प्रदान करने बाबत	10 दिवस
9	स्थानीय निकायों को अन्य विशिष्ट प्रकार के प्रकरणों हेतु तकनीकी राय प्रदान करने हेतु	10 दिवस
10	जिला कलेक्टर कार्यालयों को सम्पत्तिवर्तन/ ले-आउट प्लान/ भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु तकनीकी राय प्रदान करने बाबत	20 दिवस
11	कार्मिक की शिकायत	30 दिवस